MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 05.08.2026

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *286* वाहनों का चालान किया गया तथा 01 वाहन को सीज किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *73* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. “मिशन शक्ति ”- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त - श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट 205 व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. जन संवाद- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी

6. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजय पुत्र रघुनाथ खैरी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर हाल मुकाम ग्राम सिन्दुरिया थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के कब्जे से 27 टेट्रा पैक देशी शराब बंटी बबली बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 164/026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त राजेश्वर पुत्र स्व0 सत्यनरायन निवासी ग्राम हथियागढ थाना सिन्दुरिया जनपद महराजंगज के कब्जे से 13 अदद बंटी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 165/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सतीश विश्वकर्मा पुत्र शुभकरन विश्वकर्मा निवासी ग्राम एकसड़वा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस वाहन संख्या यूपी 56एफ 6588 के साथ 03 बोरी यूरिया खाद बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 निल/26 धारा 113 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

7. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *07* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

8. जनपद में 04/05-08-2026 को विभिन्न अपराधों में कुल- 76 (शान्ति भंग) एवं आबकारी व अन्य मामलों सहित संबंधित समस्त अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।